तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए./272/2006/उदयपुर श्रीमती लहरी बनाम श्रीमती कन्नी व अन्य	नम्बर व तारीख

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल पीठ
श्री धूकलराम कसवाँ सदस्य

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर के आदेश दिनांक 17–12–05 के विरूद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी को खारिज किया गया है।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री रमजान मोहम्मद एवं अप्रार्थी के अभिभाषक श्री मनीष पण्डया की बहस निगरानी पर सुनी गई एवं निगराधीन आदेश का अवलोकन किया गया।

पक्षकारों के मध्य लम्बित वाद अधिकारों की घोषणा, बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि प्रार्थिया ने अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य पेश कर अपनी साक्ष्य बन्द करा ली तब तक भी मतदाता सूचि पेश नहीं की। प्रतिवादी की साक्ष्य शुरू हो गई है। प्रतिवादी के दो गवाहों के बयान हो चुके हैं। अब इस स्तर पर आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ मतदाता सूचि की नकलें पेश करना चाहती है जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थिया का यह कथन रहा है कि वाद प्रस्तुत करते समय प्रार्थिया के पास सन 1966 की विधान सभा की सूचि उपलब्ध नहीं थी तथा प्रार्थिया ग्रामीण महिला होने के कारण यह नहीं जानती थी कि वाद पत्र के साथ क्या दस्तावेज होने चाहिये। गावं के किसी अन्य व्यक्ति से मदद लेकर प्रार्थिया ने मतदाता सूचि प्राप्त करने के लिये अथक प्रयास किये और प्राप्त होते ही न्यायालय के समक्ष पेश कर दी। चूँकि मतदाता विधानसभा सूचि 1966 प्रार्थिया पेश करना चाहती है और उसके द्वारा देरी से प्रस्तुत करने का कारण भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बताया है। उक्त दस्तावेज निर्णय पारित करने में सहायक दस्तावेज हो सकता है। इसलिये न्याय हित में उक्त दस्तोवज को रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः निगरानी रूपये 2000/–कोस्ट पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/टीए./272/2006/उदयपुर
श्रीमती लहरी बनाम श्रीमती कन्नी व अन्य

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। कोस्ट की राशि प्रार्थिया अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित तारीख पेशी पर अदा करेंगी। उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–3–2018 को उपस्थित रहने के लिये जरिये अभिभाषक पाबन्द किया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद वर्ष 2001 से लम्बित है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य